कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/1192 दिनांकः–22-06-2022

गोगामेडी मेला वर्ष 2022 में अस्थाई दुकानें/भुखण्ड/मनोरंजन स्थल/पार्किंग ऑन–लाईन (ई–बोली) सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी मेला दिनांक **11.08.2022** से प्रारम्भ होकर दिनांक **10.09.2022** को विसर्जित होगा। मेला मौके पर व्यापार करने के लिये दुकानों, मनोरंजन स्थल व पार्किंग आदि हेतु विभिन्न स्थान/बाजारों में अस्थाई छोटे–बड़े भुखण्डों को मेला अवधि के लिए किराये पर देने हेतु ऑन–लाईन ई–बोली **www.zilahanumangarh.in** पर लॉग–इन कर पंजीयन शुल्क 200/– ऑन–लाईन खाते में पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, निर्धारित अमानत राशि कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ जं0 (335512) में जमा करवाकर ई–बोली लगा सकता है।

ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

क्र.स.	विवरण			दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक			23.06.2022
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक			06.07.2022
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक			08.07.2022 सांय 06.00 बजे तक
4.	ऑन–लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक			26.06.2022
5.	ऑन–लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	1.विविध क्राफ्ट बाजार (11), मन्सूरी बाजार 1(20), मन्सूरी बाजार 2(17),आर.सी.सी. रोड़/शैड के सामने(16), परचूनी बाजार(18), उज्जवल बास बाजार(10), गोगा बजार(15), व तहसील के पास(8)	कुल भूखण्डों की सख्या – 115	15.07.2022 सांय 04.00 बजे तक
		2 स्टेशन रोड पक्की उत्तर साईड कुम्हार कुण्ड की तरफ(10),चुड़ी बाजार(10), ढ़िलकी बजार(13), मोची बाजार(10), मोची बाजार विस्तार(25), आर.सी.सी. शैड के पास–2(13), आर.सी.सी. शैड के पास–1(14) एवं बर्तन बाजार(7)	कुल भूखण्डों की सख्या – 102	17.07.2022 सांय 04.00 बजे तक
		3. स्टेशन रोड़ पक्की दक्षिण की तरफ(58) नेठराणा बाजार(12), आर.सी.सी. शैड के सामने(8), गली नं0–1(22) एवं गली नं0–2(30)	कुल भूखण्डों की सख्या – 130	19.07.2022 सांय 04.00 बजे तक
		4. मनीहारी बाजार पश्चिम(14), मनीहारी बाजार पूर्व(14), माता बाछल धर्मशाला के पास(5), स्टेशन रोड़ पक्की उत्तर की तरफ(34), ट्रासंफार्मर के पास 11 से 23(13), कुम्हार कुण्ड के सामन(12), एवं नोहर बाजार(3)	कुल भूखण्डों की सख्या – 95	21.07.2022 सांय 04.00 बजे तक
		5. गोरखनाथ बाजार पूर्व(41), गोरखनाथ बाजार पश्चिम(19), पैनोरमा के पास(32), पैनोरमा के सामने(11)	कुल भूखण्डों की सख्या – 103	23.07.2022 सांय 04.00 बजे तक
		6.पैनोरमा के सामने, मुख्य सड़क की तरफ(38), टैण्ट टॉल(34,) मनोरंन स्थल(3), एवं पार्किंग (01)	कुल भूखण्डों की सख्या – 76	25.07.2022 सांय 04.00 बजे तक

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ
(जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ–जंक्शन, 335512)

E-mail- ac.hmn.dev@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 22-06-2022

राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेड़ी मेला 2022 हेतु अस्थाई दुकानों/भूखण्डों/पांर्किग/मनोरंजन स्थल की मेला अवधि के लिए ऑन–लाईन बोली की सामान्य शर्ते–

1. अस्थाई दुकानो की 1 माह के लिए अस्थाई आवंटन ऑन–लाईन बोली द्वारा आमंत्रित की जावेगी। इसमें भाग लेने के लिए बोलीदाता को साईट/वेब साईट www.zilahanumangarh.in पर पंजीयन कराना होगा। जिसमें लगने वाला पंजीयन शुल्क पुनर्भुगतान योग्य (Non Refundble) नही होगा। एक पंजीयन अधिकतम 20 यूनिट (दुकानों/पार्किंग/मनोरंजन स्थल) के लिए मान्य होगा।
2. ऑन–लाईन बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को सलंग्न सूची अनुसार अमानत राशि जमा करानी होगी, तब ही बोली में भाग ले सकता है।
3. जमा अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
4. ऑन–लाईन बोली के समाप्ति पर अधिकतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण राशि आगामी दो कार्य दिवस में जरीये डी. डी./बैंकर चैंक **"सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ के नाम से देय"** इस कार्यालय में जमा करानी होगी। उक्त बोली राशि में बोलीदाता द्वारा पूर्व में जमा अमानत राशि समायोजित करवाई जा सकती है। उक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर द्वितीय/तृतीय उच्चतम बोलीदाता को प्रथम उच्चतम बोलीदाता की दर पर अवसर दिया जा सकेगा।
5. उपरोक्त बिन्दु संख्या 04 में बोली असफल होने की दशा में निलामी बोली निरस्त की जाकर पुनः निलामी की कार्यवाही की जावेगी तथा इस प्रकार राशि जमा नहीं करवाने वाला सफल बोलीदाता अन्य बोलीयों में भाग नहीं ले सकेगा। बोली कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।
6. अधिकतम बोलीदाता द्वारा बिन्दु सख्या 04 में उल्लखित राशि जमा न कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अमानत राशि जब्त की जावेगी तथा आगामी निलामी बोलीयों के लिए डी–बार कर दिया जावेगा।
7. अस्थाई दुकानों का विस्तृत विवरण, आरक्षित मूल्य, अमानत राशि एवं शर्तों को ऑन–लाईन पोर्टल/सहायक आयुक्त देवस्थान कार्यालय में देखा जा सकता है।
8. बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व अमानत राशि की डी.डी./बैंकर चैंक **"सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ के नाम से देय"** एवं अपना पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति सहायक आयुक्त कार्यालय हनुमानगढ में निर्धारित दिनांक व समय तक जमा करानी होगी। पंजीयन प्रमाण–पत्र का अनुमोदन होने के पश्चात् पंजीयनकर्ता दुकानों की निलामी बोली में भाग ले पायेगा।
9. उक्त मेला क्षेत्र में दुकानो का अस्थाई आवंटन 1 माह के लिए किया जावेगा।
10. मेला परिसर में मौजूद पेड, पौधे व झाडिया आदि नहीं काटी जायेगी। यदि काटे गये तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
11. जिन अस्थाई दुकानों की बोली अंतिम दिवस तक प्राप्त नही होती है, उन दुकानों की अंतिम बोली दिनांक निलामी समिति द्वारा आगे बढाई जा सकती है।
12. ई–बोली के पश्चात ठेके की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निलामी समिति का होगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा मेला परिसर में स्थाई/अस्थाई सम्पत्तियॉ, अन्य दुकानदारों आदि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगा।
14. समस्त बोली दाता कोरोना कोविड–19 की गाईड लाईन अनुसार मास्क पहनकर एवं गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुए बोली में भाग लेगें।

15. पूरे मेला क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यदि दुकानदार द्वारा लाउडस्पीकर लगाया गया तो उसे जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. दुकान हेतु बिजली कनेक्शन जोधपुर विधुत वितरण निगम से अधिकतम बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर लेना होगा। देवस्थान विभाग की विद्युत लाईन से अवैध कनेक्शन पाये जाने पर मौके पर ही शास्ति वसूली व कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
17. प्रत्येक दुकानदार को दुकान के सम्मुख कचरा पात्र रखना होगा तथा वहां सफाई व्यवस्था रखनी होगी। मेला क्षेत्र में लगने वाली अस्थाई दुकान/भुखण्ड में पॉलीथीन थैलिया काम में नहीं ली जावेगी। प्रत्येक दुकानदार को अग्नि दुर्घटना से बचाव के लिए स्वयं के खर्चे पर अग्निशमन यंत्र लगाना होगा। यदि पॉलिथीन की थैलिया काम में ली गई पाई गई अथवा सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने पर 5000/– रूपये जुर्माना देना होगा तथा दुकानदार का आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
18. सफल बोलीदाता/दुकानदार को बाल मजदुरी अधिनियम की पालना करनी होगी।
19. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों की संख्या व साईज में कमी–बेसी हो सकती है। सफल बोलीदाता को आवंटित/निर्धारित क्षेत्र में ही सीमित रहना होगा, निर्धारित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने पर शास्ति लगाई जाकर अतिक्रमण हटाया जावेगा।
20. अस्थाई दुकानों में मंदिर की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मांस, मदिरा, लकडी का बुरादा, नशीला पदार्थ आदि वर्जित सामग्री बेचा जाना वर्जित होगा। अगर कोई दुकानदार विक्रय करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं समस्त जमा राशि जब्त कर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
21. ऑन–लाईन बोली में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता द्वारा मौका मुआवना स्वयं के स्तर पर कर सकता है। बोली में भाग लेने के पश्चात् विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
22. ऑन–लाईन बोली में सम्मलित अस्थाई दुकानों का विवरण, नक्शा एवं शर्ते व प्रक्रिया सबंधित **www.devasthan.rajasthan.gov.in, zilahanumangarh.in** व **sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।
23. सफल बोलीदाता अन्य किसी को किरायेदारी हस्तान्त्रित (**Sublet**) नही करेगा।
24. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत सोशल डिसटेसिंग की पूर्ण पालना के साथ बोली स्थल पर केवल बोली दाता/अमानत राशि जमा करवाने वाला ही मास्क पहनकर उपस्थित होगा।
25. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत दुकानदार उस ग्राहक को जिसने मास्क नही पहन रखा है, उसे सामान नही बेचेगा। दुकानदार यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक दूरी (6 फुट दूरी) के साथ ग्राहको को प्रवेश की अनुमति दी जावें। दुकानो में दुकानदार द्वारा ग्राहको हेतु हैण्डवाश एवं सेनिटाईजर का प्रबंध किया जावेगा।
26. कोरोना वायरस (कोविड–19) के तहत दुकानदार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी गाइडलाईन की पूर्णतया पालना करेगा।
27. समस्त बोली अवधि के दौरान किरायेदार को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा/महामारी से होने वाले नुकसान की किसी भी प्रकार की जिम्मेदार विभाग की नही होगी। एवं न ही किसी प्रकार की भी राशि लौटाई जावेगी।
28. उपरोक्त शर्तो का उल्लधन पाये जाने पर अस्थाई दुकान निरस्त की जा सकेगी एवं जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
29. मेले की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 12.09.2022 को अथवा इससे पूर्व अस्थाई दुकान का कब्जा विभाग को सोपना होगा।
30. मनोरंजन स्थल पर लगने वाले झूले व अन्य मनोरंजन आईटम लगाने से पूर्व मेला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार आवश्यक अनुमति संबंधित बोलीदाता को स्वंय लेनी होगी। अतः बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व ही इससे संबंधित नियमों/विधिक प्रावधानों व प्रक्रिया की जानकारी सुनिश्चित कर लेवें। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सी. डब्ल्यु नं. 10331/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 में किय गये उल्लेखानुसार "Direction to the respondents to adhere by the statement so given, by keeping the petitioner at liberty to agitate his cause before the authority competent to identify and stop the performances which are dangerous to life and property" की

पालना की जावे। अन्य आवश्यक सावधानियों की पालना भी सुनिश्चित करनी होगी। शेष समस्त जोखिम सफल बोलीदाता का ही होगा।

31. खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को अधिकृत लाईसेन्स अपने पास रखना होगा।

32. एक व्यक्ति द्वारा एक पंजीयन पर अधिक्तम 20 यूनिट (दुकानों/पांर्किग/मनोरंजन स्थल) में भाग ले सकेगा।

33. उक्त बोली में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टड अथवा विभाग का कोई बाकीदार, संवेदक/फर्म/व्यक्ति इस ऑन–लाईन बोली प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है।

34. निविदा स्वीकृति की सुचना उपरान्त तीन दिवस में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा । अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सफल बोलीदाता को 1000/– रूपयें की नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा । अन्यथा अमानत राशि व अन्य जमा राशि जब्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

35. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 42, जिसके अन्तर्गत बोली प्रकियां में हस्तक्षेप करने वाले दोषी व्यक्ति के विरूध 5 वर्ष तक की सजा और 50 लाख रूपये या उपापन के निर्धारित के दस प्रतिषत तक के जुर्माना का प्रावधान है, एवं सत्यनिष्ठा की संहिता धारा 11 सहित समस्त धाराएं एवं नियम 2013 व निविदा सूचना संबंधी सभी शर्ते लागू होगी।

36. उक्त अस्थाई दुकानों/पांर्किग/मनोरजन स्थल की ऑन–लाईन निलामी प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात्वर्ती किसी प्रकार का कर देयता बनती हैं तो उसकी जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

37. पार्किग स्थल विभाग द्वारा मेला स्थल पर चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाएगा ।

38. वाहन पार्किग ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए एक ही नम्बर के दो कूपन काटे जाएंगे जिनमें से एक कूपन वाहन पर लगाया जाएगा तथा दूसरा कूपन वाहन जमाकर्ता को दिया जाएगा । पार्किग स्थल की निम्नानुसार दरे 12 घण्टे के लिए इस प्रकार रहेगीः–

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	अवधि	राशि
1.	साईकिल	12 घंटे	10/–
2.	स्कूटर/मोटर साईकिल	12 घंटे	20/–
3.	जीप/कार/मिनीबस/मिनी ट्रक/ट्रेक्टर ट्राली	प्रथम चार घंटे द्वितीय चार घंटे तृतीय चार घंटे	20/– 20/– 20/–
4.	बस/ट्रक	12 घंटे	100/–

सफल बोलीदाता द्वारा पार्किग स्थल पर खड़े किये जाने वाले वाहन के मालिको को टोकन जारी किया जावेगा । टोकन पर वाहनो के प्रकार अनुसार शुल्क राशि अंकित करनी होगी । निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ठेकेदार द्वारा वाहन मालिक से वसूल नही की जावेगी । सफल बोलीदाता के व्यवहार के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम शिकायत पर 300/– रूपयें एवं द्वितीय शिकायत पर 600/– रूपयें पेनेल्टी लगाई जावेगी । पार्किग सफल बोलीदाता द्वारा दोनों साइडों की पार्किग व्यवस्था में कोई भी दुकान,रेहड़ी पट्टा,उठाउ पल्ली आदि नहीं लगाई जावेगी।

39. पार्किग स्थल पर पानी,बिजली जनरेटर व फैंसिंग की समस्त व्यवस्थाएँ सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर करनी होगी ।

40. वाहनों को सुरक्षित रखने का समस्त उत्तरदायित्व सफल बोलीदाता का होगा ।

41. पार्किग स्थल के अतिरिक्त मेला स्थल पर इधर–उधर खड़े प्राईवेट वाहनों को क्रेन द्वारा पार्किग स्थल पर लाने की व्यवस्था सफल बोलीदाता को अपने स्तर पर सम्पूर्ण मेलावधि के लिए करनी होगी । क्रेन द्वारा लाये गये प्रति वाहन पर क्रमशः 100/–रूपये छोटे वाहन व 200/– रूपयें बडे वाहन वसूल करने हेतु सफल बोलीदाता अधिकृत होगा । क्रेन की व्यवस्था नहीं करने पर सफल बोलीदाता की अमानत राशि में से कटौति एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

42. सफल बोलीदाता को प्रवेशद्वार व निकासी द्वार की व्यवस्था अलग–अलग करनी होगी।

43. सफल बोलीदाता को ठेका चलाने के लिये स्वयं कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता स्वयं की होगी। बोलीदाता के कर्मचारियों की एक सूची मय पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाईल न0 के अग्रिम रूप से कार्यालय में देनी होगी तथा सूची अनुमोदित करने पर ही कर्मचारी ठेकेदार के साथ कार्य कर सकेगें । बोलीदाता ऐसे किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नही करेगा जिसे न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो,तथा ठेके की अवधि के दौरान बोलीदाता के कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

44. सफल बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,जो कि एम0एल0ए0/ एम0पी0/प्रथम श्रेणी अधिकारी के स्तर से नीचे के व्यक्ति का मान्य नही होगा । चरित्र प्रमाण पत्र इस आशय का होना चाहिए कि वे बोलीदाता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं । चरित्र प्रमाण एक सप्ताह में प्रस्तुत नही करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी । विभाग इस बाबत सन्तुष्ट होने के लिये जॉच करवा सकता हैं तथा जांच तथ्य गलत पाये जाने पर ठेका रद्द कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी ।

45. किसी भी प्राकृतिक विपदा/चौरी अथवा अन्य प्रकार से वाहन पार्किग में रखे वाहनों की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसका हरजाना भरने का जिम्मेदार बोलीदाता होगा। इस हरजाने की भरपाई के लिये बोलीदाता चाहे तो स्टेण्ड का बीमा करवा सकता है, बीमे की किस्त का वहन बोलीदाता को करना होगा । बोलीदाता को ठेका प्रारम्भ से पूर्व स्टेण्ड के लिये बोर्ड पर स्पष्ट शब्दों में इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों को लिखना होगा एवं दर भी लिखवानी होगी। बोर्ड बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर बनवाने होगें ।

46. निर्धारित पार्किग स्थल को सफल बोलीदाता सिर्फ वाहन खड़ा करने के लिये काम में लेगा उसका अन्य किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में उपयोग नही कर सकेगा ।

47. सफल बोलीदाता को व्यवस्था बनाये रखने के लिये वाहन पार्किंग की जगह की पर्याप्त बेरीकेडिंग करवाने/खाई खुदवाने का कार्य स्वंय के खर्चे पर करवाना होगा जिसमें पेड़ या पोधों को हानि नही पहुॅचाई जावे। पार्किग स्थल से वाहन मेला क्षैत्र में आना निषिद्ध है। ऐसा पाये जाने पर सफल बोलीदाता की अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

48. सफल बोलीदाता को विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।

49. सफल बोलीदाता को पार्किग स्थल पर बोर्ड लगाने होगें जिसपर शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा । बोर्ड नही लगाने की स्थिति में सफल बोलीदाता पर पेनेल्टी लगाई जावेगी ।

50. ठेका की अवधि गोगामेड़ी मेला वर्ष 2022 दिनांक 11.08.2022 से 10.09.2022 तक के लिये हैं ।

51. सफल बोलीदाताओं की सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं पोर्टल पर आगामी दिवस में प्रदशित की जावेगी।

52. निलामी कार्यवाही से सबंधित सभी अधिकार निलामी समिति में निहित होगें।

53. ऑन–लाईन प्रक्रिया दुकानों/पार्किंग/मनोरंजन स्थल में आरक्षित मूल्य (बीड प्राईज) से उपर 100/– रूपये के गुणाक में बोली लगाई जा सकती है।

54. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र हनुमानगढ जिला मुख्यालय रहेगा।

55. राज्य सरकार एवं विभागीय नीति नियम/आदेश/सामान्य वित्तीय लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व अन्य सदंर्भित नियम, बोली सूचना संबंधी सभी शर्तें लागू होगी।

56. अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in, zilahanumangarh.in व sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

57. ऑन–लाईन बोली में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर/के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।

अतः उपरोक्त वर्णित शर्ते पढकर, सुनकर व समझ ली है मै इससे सहमत हूॅ ।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, हनुमानगढ

पंजीयन एवं बोली की प्रक्रिया

1. किसी भी सर्च इंजन पर जाकर zilahanumangarh.in पर बोली संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु साईट खोली जा सकती है।
2. पंजीयन पर क्लीक करें।
3. बोलीदाता द्वारा आवश्यक पृविष्टियां कर पंजीयन शुल्क जमा करावें।
4. पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिस दुकान के लिए बोली लगाई जानी है, उसका चयन करें।
5. चयनित दुकान की अमानत राशि आदि का विवरण अंकित करें। प्रत्येक दुकान के लिए पृथक–पृथक अमानत राशि देय होगी।
6. पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रिन्ट एंव अमानत राशि की डी.डी./बैंकर चैंक सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ के नाम से बनाकर देवस्थान कार्यालय हनुमानगढ़ में जमा करावें।
7. देवस्थान विभाग द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् बोली में भाग लें।
8. किसी प्रकार की समस्या आने पर दूरभाष सख्या 9413480093 पर सम्पर्क करें।
9. ऑन–लाईन प्रक्रिया दुकानों/पार्किंग/मनोरंजन स्थल में आरक्षित मूल्य (बीड प्राईज) से उपर 100/– रूपये के गुणाक में बोली लगाई जा सकती है।

उपरोक्त के सबंध में दिनांकवार विवरण निम्न है :–

1. विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 23 जुन 2022।
2. बोलीदाताओं द्वारा पंजीयन की दिनांक 26 जुन 2022 से 06 जुलाई 2022।
3. पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जिला परिषद के पीछे, हनुमानगढ (335512) में जमा करवाने की अंतिम दिनांक 08 जुलाई 2022 सांय 06.00 बजे तक।
4. ऑन–लाईन बोली प्रारंम्भ दिनांक 26 जुन 2022 से 25 जुलाई 2022 तक (बोली लगाने की अंतिम दिनांक बाजारवार पृथक–पृथक रहेगी)
5. ऑन–लाईन बोली में भाग लेने का समय प्रतिदिन प्रातः 8 से सायः 8 बजे तक (अंतिम बोली दिवस में समय सायः 4 बजे तक ही बोली लगाई जा सकती है)